न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2017 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 02.08.2017
G.C.M.S. NO. :_ 2017/00100

भैरूलाल पिता डाडमचन्द पुष्करणा ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–तुलसीराम पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–दयाराम पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–राधाकिशन पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–लक्ष्मीाई पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–रामप्यारी पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6–रामकन्या पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7–कंकु पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
8–प्रेमशंकर पिता रतनलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
9–प्रकाश पिता रतनलाल ब्राह्मण निवासी अरनिया, ग्राम पंचायत संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
10–ग्राम पंचायत संगेसरा, पंचायत समिति डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
11–तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 455 दिनांक 25.10.2004 ग्राम पंचायत संगेसरा

उपस्थिति : 1-श्री चम्पालाल जाट, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांक 27.05.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 10 के द्वारा निगराकार एवं गांव के निवासियों के हितों के विपरीत गैरनिगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष मोतीलाल पिता नारायण ब्राह्मण को पट्टा कमांक 455 दिनांक 25.10.2004 को जारी किया है जो पूर्णतया अवैध है। ग्राम अरनिया पंचायत संगेसरा की आराजी नम्बर 421 किस्म आबादी है जो निगराकार के मकान से लगी हुई है तथा आराजी नम्बर 265 किस्म रास्ता है इसी रास्ते पर विपक्षी को अतिक्रमण करवाने की नियत से विपक्षी संख्या 10 ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया है जो पूर्णतया विधि-विपरीत एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष मोतीलाल पिता नारायण ब्राह्मण को जारी पट्टा संख्या 455 दिनांक 25.10.2004 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगला ने अपने पत्रांक/पसडू/पंचायत/2019-20/472 दिनांक 28.08.2019 से रेकार्ड में उपलब्ध पट्टे से संबंधित रेकार्ड (पट्टा बुक, रोकड़ बही एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर) प्रस्तुत किया। पट्टे से संबंधित मिसल प्रस्तुत नहीं करके अन्य मिसल संख्या 45 फैसल दिनांक 21.09.2004 जो कि श्री डाडमचन्द्र पिता काशीराम पुष्करना को जारी पट्टे से संबंधित मिसल प्रस्तुत की गई। गैर निगराकारगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए जिससे प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनकर प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष मोतीलाल पिता नारायण ब्राह्मण के पक्ष में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत पट्टा संख्या 455 दिनांक 25.10.2004 को जारी किया जो कि आराजी नम्बर 265 किस्म रास्ता में स्थित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने जान-बुझकर गैर निगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष मोतीलाल को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कराने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जबकि उक्त स्थान पर होलिका दहन का कार्यक्रम भी होता है। निगराकार द्वारा इस संबंध में गैर निगराकार संख्या 11 भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला से भी शिकायत की गई लेकिन उनके द्वारा भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करके मुझे सिविल कोर्ट में वाद पेश करने को कहा। विधिनुसार जब पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत कोई पट्टा जारी किया जाता है तो आस-पड़ौस से पूछताछ की जाती है एवं आबादी भूमि में ही पट्टे जारी किये जाते हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे से संबंधित मिसल मांगने पर सचिव द्वारा रेकार्ड में मिसल उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल कायम नहीं की गई। मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा ना ही कोई सार्वजनिक सूचना हेतु नोटिस जारी किया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में तहसीलदार डूंगला के आदेश की पालना में दिनांक 24.11.2016 को पटवार हल्का संगेसरा मौके पर पहुंचे तथा जांच में आराजी नम्बर 265 किस्म रास्ता में गैर निगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष के मकान का निर्माण होना पाया। अतः गैर निगराकार संख्या 10 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष को रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी किया है जो पूर्णतया अवैध है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 9 के मूल पुरूष के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 455 दिनांक 25.10.2004 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। निगराकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उक्त पट्टे से संबंधित रेकार्ड की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही जाने पर सचिव, ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा मात्र पट्टे की प्रति उपलब्ध कराई गई एवं मिसल से संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया है। इस न्यायालय द्वारा भी ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला द्वारा मात्र पट्टा बुक, रोकड़ बही एवं बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर भिजवाया गया है। पट्टे से संबंधित मिसल प्रस्तुत नहीं करके अन्य मिसल संख्या 45 फैसल दिनांक 21.09.2004 जो कि श्री डाडमचन्द्र पिता काशीराम

पुष्करना को जारी पट्टे से संबंधित मिसल है, प्रस्तुत की गई है जो कि इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई और राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं की गई है। अतः तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत, संगेसरा द्वारा मात्र खाना-पूर्ति करते हुए नियमों की अनदेखी कर उक्त पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अधिवक्ता निगराकार द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात के अन्तर्गत तहसीलदार, डूंगला के आदेश क्रमांक 762-64 दिनांक 16.08.2016 की पालना में पटवार हल्का संगेसरा द्वारा दिनांक 24.11.2016 को तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया जिसमें आराजी नम्बर 421 रकबा 0.9740 किस्म आबादी के मध्य में स्थित आराजी नम्बर 265 रकबा 0.4430 किस्म रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त रास्ते के दोनों और मकान बने हुए होना बताया है तथा रास्ते की भूमि पर प्रताप पिता प्यारचन्द, प्रेमशंकर, प्रकाश पिता रतनलाल पुष्करणा, किशनलाल पिता पृथ्वीराज तथा गैर निगराकारगण तुलसीराम, दयाराम, राधाकिशन पिता मोतीलाल के मकान बने हुए होना बताया है। अतः प्रथम दृष्टया किस्म रास्ते की भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है जबकि ग्राम पंचायत को भूमि आबादी में दर्ज होने पर ही पंचायतीराज नियमों/उपनियमों के तहत नियमानुसार भूखण्ड निलाम/आवन्टन करने व पट्टे जारी करने के अधिकार है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत संगेसरा, पंचायत समिति, डूंगला द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 455 दिनांक 25.10.2004 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत संगेसरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान एवं अन्य प्रकरण से संबंधित आमजन को सुना जाकर कब्जे तथा रास्ते के संबंध में राजस्व रेकार्ड से मिलान कर अन्य तथ्यों के संबंध में पूर्ण जांच कर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)